प्रशासन गांव के संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 38 सन 2022
अनवान :–

1. गुड्डी देवी पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 25/5/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम रोही मौजा श्योराणी के खाता संख्या 231/33 के खसरा न0 174 की 13.637हैक में से 489/13637 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण प्रमेश्वरी पत्नी अमीलाल दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम गुडडी देवी पत्नी अमीलाल है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम गुडडी देवी पत्नी अमीलाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा श्योराणी के खाता संख्या 231/33 के खसरा न0 174 की 13.637हैक में से 489/13637 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम प्रमेश्वरी पत्नी अमीलाल के स्थान पर गुडडी पत्नी अमीलाल संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पैरोकार राज उपस्थित आकर जवाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

जवाब शामिल मिसल किया जाकर प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासंन गांव के संग(फोलाअप) अभियान वर्ष – 2022 में पेश हुई ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा श्योराणी के खाता संख्या 231/33 के खसरा न0 174 की 13.637हैक में से 489/13637 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण प्रमेश्वरी पत्नी अमीलाल दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम गुडडी देवी पत्नी अमीलाल है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम गुडडी देवी पत्नी अमीलाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा श्योराणी के खाता संख्या 231/33 के खसरा न0 174 की 13.637हैक में से 489/13637 हिस्सा भूमि खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम प्रमेश्वरी पत्नी अमीलाल दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम गुडडी पत्नी अमीलाल है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम गुडडी पत्नी अमीलाल दर्ज है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बध में स्वय का शपथ/दस्तावेजात /तहसीलदार की अभिशषां के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा श्योराणी के खाता संख्या 231/33 के खसरा न0 174 की 13.637हैक में से 489/13637 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम परमेश्री पत्नी अमीलाल के स्थान पर प्रमेश्वरी उर्फ गुडडी पत्नी अमीलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/5/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट......

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2022 / 1622 दिनांक :– 26/05/22

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 38 / 2022 अनवानी गीता बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. गुडडी पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 38 / 2022 अनवानी गुडडी बनाम सरकार में दिनांक 25/5/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा श्योराणी के खाता संख्या 231 / 33 के खसरा न0 174 की 13.637हैक में से 489 / 13637 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम परमेशरी पत्नी अमीलाल के स्थान पर प्रमेश्वरी उर्फ गुडडी पत्नी अमीलाल संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट.........

Scanned with CamScanner